न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

सीताकंवर बनाम कानाराम वगैरह
किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या 191 / 2025 (अजमेर)

रिनाo5
22/4/25

	श्री समीर अहमद खान	
21.04.2025	सीताकंवर बनाम कानाराम वगैरह (2025 / 191) यह अपील श्री समीर अहमद खान एडवोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर (मु). अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 112 / 2024 में पारित आदेश दिनांक 09.12.2024 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन दिनांक 22.04.2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
22.04.2025	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन पर सुना गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किये गये कथन संतोषजनक एवं सद्भाविक प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा पारित आदेश एवं अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर के समक्ष दिनांक 09.12.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पेश किया गया, जिसे दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर आगामी पेशी दिनांक 08.01.2025 नियत की गई। दिनांक 08.01.2025 को अप्रार्थी संख्या 01 से 03 एवं 05 से 07 की ओर से श्री निर्मल कुमार जैन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब हेतु समय चाहा एवं आगामी पेशी दिनांक 05.03.2025 नियत की गई। दिनांक 05.03.2025 को जिला बार संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने से आगामी पेशी दिनांक 24.04.2025 नियत की गई। उक्त आदेशिकाओं से ऐसा कहीं भी प्रतीत नहीं होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा स्थगन आदेश हेतु चाराजोही की गई हों। अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 विचाराधीन है तथा उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम निरतारण भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ही किया जाना है। अतः	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर
RAA

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

सीताकंवर बनाम कानाराम वगैरह

किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 191/2025 (अजमेर)

हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner